खण्ड ६ संख्या २५

बिहार विधायिका सभा वादवृत्त

शुक्रवार, तिथि - २५ मार्च १९४९

विषय सूची

		पृष्ठ
प्रश्नोत्तर	... ...	१-३
विधायिका परिषद् से प्राप्त संदेश	... ...	४
आय-व्ययक: अनुदानों के अभियाचन पर मतदान।	...	४-३४
शिक्षा [स्वीकृत]	... ...	५
२६ मार्च के कार्य सूची में परिवर्तन।	... ...	३४
आय-व्ययक: अनुदानों के अभियाचन पर मतदान।	...	३४-४९
[अपरान्ह की दूसरी बैठक — ६-१५ बजे।]	...	३४
विधायन कार्य : राजकीय विधेयक :	...	३७
बिहार फाइनेन्स विल, १९४९, [१९४९ का वि: स० १०] (क्रमशः)		३४
बिहार फाइनेन्स विल सभा के अधिकार के बाहर है या नहीं तथा बिहार एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स ऐक्ट १९४२ के विना संशोधित हुए, बिहार फाईनेन्स विल सभा में आ सकता है या नहीं, इन सब नियमापत्तियों पर माननीय प्रमुख का निर्णय।	...	५०-६७
बिहार फाइनेन्स विल १९४९, [१९४९ का वि० स० १०] [स्वीकृत हुआ]		६७

कि सरकारी-स्कूलों में जितना बढ़ेगा उतना ही गैर-सरकारी स्कूलों में बढ़ेगा या कम बेस ?

माननीय श्री अब्दुल कयूम अंसारी : इसके लिये स्वतंत्र नोटिस दीजिये तब जवाब मिलेगा।

श्री डब्ल्यू० फारेस्ट का छुट्टी के लिए आवेदन-पत्र

माननीय प्रमुख : इंडियन माइनिंग एसोसियेशन के प्रतिनिधि श्री डब्ल्यू० फारेस्ट युनाइटेड किंगडम गये हैं। इस कारण उन्होंने पहली अप्रिल से छः महीने की छुट्टी मांगी है। उनका आवेदन-पत्र आया है।

प्रश्न यह है कि :—

श्री डब्ल्यू० फारेस्ट को पहली अप्रिल से लेकर छः महीने की छुट्टी दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजकीय विधेयक

बिहार स्टेट मैनेजमेन्ट औफ एस्टेट्स एन्ड टेन्योर्स बिल, १९४९
[१९४९ का वि० स० ७] (क्रमशः)

माननीय प्रमुख : प्रश्न यह है कि :—

इस सभा द्वारा यथा संशोधित खण्ड २५ (पुनरंकित खण्ड ३०) इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस सभा द्वारा यथा संशोधित खण्ड २५ (पुनरंकित खण्ड ३०) इस विधेयक का अंग बना।

माननीय प्रमुख : विशिष्ट-समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित खण्ड २६ (पुनरंकित खण्ड ३१) इस विधेयक का अंग बने।

❀ **श्री श्यामनन्दन सहाय** : प्रमुख महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि :—

खण्ड २६ (पुनरंकित ३१) में से शब्द "or in respect of any alleged neglect or omission to perform any duty devolving on the Provincial Government or any of the officers sub-ordinate to it and acting under this Act." हटा दिये जायँ।

इस कानून के अन्दर क्या क्या अख्तियारात सरकार को और इस महकमे के आफिसरों को दिये गए हैं इस बात पर कल काफी बहस हो चुकी है। यहां तक कि एक amendment को भी सभा ने मंजूर कर लिया है और अब

❀ माननीय सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

किसी अदालत को किसी कार्रवाई पर इस अमेन्डमेन्ट के मुतल्लिक कोई एतराज करने का मौका नहीं रह जायगा। ऐसी अवस्था में, और अगर ऐसा न होता तब भी, जो संशोधन मैं पेश कर रहा हूँ उस पर सभा को और सरकार को भी गौर करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जब सरकार जमीन्दारी को अपने इन्तजाम में ले रही है तो उसे इस किस्म के अख्तियारात जरूर होना चाहिए ताकि उसके इन्तजाम में किसी किस्म का बखेड़ा नहीं हो। मगर उसके साथ-साथ सरकार को यह भी मानना और महसूस करना चाहिए कि इस तरह का कानून न बनावे कि सरकार खुद, या उसके मातहत जो आफिसरान काम करने के लिए बहाल हों वे, ऐसा ख्याल करने लगें कि हम कुछ भी करें उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। इस तरह का ख्याल रखना मेरे विचार से सरकार के लिए और उस इन्तजाम के लिए जिसे वह अपने हाथ में लेने जा रही है, आगे चलकर बहुत नुकसान पहुँचेगा। पहले मैं दफा २६ (पुनरंकित३१) आपको पढ़कर सुनाता हूँ और इसके बाद यह बतलाऊँगा कि जिन शब्दों को मैं हटाना चाहता हूँ उनकी जरूरत इन्तजाम की लिहाज से कुछ है या नहीं। एक बात। और दूसरी बात यह बतलाने की कोशिश करूँगा कि उन शब्दों को रखने से बहुत नुकसान होने का अंदेशा है। दफा २६ के अल्फाज ये हैं:—

"No suit or other legal proceeding shall lie in any Court against the Crown or any servant of the Crown or against any person acting under the orders of a servant of the Crown for, or on account of, or in respect of, anything done or purporting to be done in good faith under this Act"

मेरा अपना ख्याल है कि इतना ही इस दफा में बहुत काफी है कि good faith में कोई ऐसा काम सरकार खुद, या सरकार का कोई मातहत औफिसर, या कोई दूसरा शख्स जो सरकार के औफिसर के हुक्म के अनुसार किसी काम को करे, इनमें किसी पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता है। मगर उसका काम good faith में होना चाहिए। परेशान करने के लेहाज से मुकदमा चलने से बचाने के लिए मेरे ख्याल में इतना ही बहुत काफी है। अब, इस दफा में जिन शब्दों को हम हटाना चाहते हैं उनके बाद भी कुछ शब्द हैं जिनको हम रहने देते हैं, जैसे :—

"or in respect of the exercise of, or the failure to exercise, any power conferred by this Act on the Provincial Government or any officer sub-ordinate to it and acting under this Act, except for the loss or the misapplication occasioned by the wilful default or gross negligence of any officer of the Provincial Government."

यानी अगर सरकार इस कानून के दफा को इस्तेमाल करें या कहीं न भी इस्तेमाल करे और इसकी वजह से कोई क्षति हो, तो भी उसपर मुकदमा नहीं चलेगा। यह power मेरे ख्याल से बहुत काफी है। अब हम जो हटाना चाहते हैं वह यह है :—

"or in respect of any alleged neglect or omission to perform any duty devolving on the Provincial Government or any of the officers sub-ordinate to it and acting under this Act,"

इन्हीं शब्दों को हम हटाना चाहते हैं। मेरी आरजू यह है कि जो आफिसर खामखाह serious neglect of his duty करता है, अपना कर्त्तव्य पालन नहीं करता है, उसे भी मुकदमा से वंचित कर देना जायज नहीं है। जो ईमानदारी से काम करता है और good faith में उससे कोई गलती हो जाती है तो उसपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए—यह ठीक है, मगर जहां neglect or omission to perform any duty होता है वहां उसकी रक्षा इस कानून द्वारा नहीं करनी चाहिए। यही मेरा संशोधन है।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : प्रमुख महोदय, जो संशोधन मेरे दोस्त, राय बहादुर श्यामनन्दन सहाय, ने पेश किया है उसको स्वीकार करने में जो मेरी कठिनाई है उसको मैं बता देना चाहता हूँ। Clause 26 में है—"No suit or other legal proceeding shall lie in any Court against the Crown or any servant of the Crown acting under the orders of a servant of the Crown for, or on account of, or in respect of anything done or purporting to be done in good faith under this Act"—यानी अगर good faith में काम करता है तो वो किसी Officer पर मुकदमा नहीं चल सकता।

श्री श्यामनन्दन सहाय : आगे भी उसके देखिये—

"or in respect of the exercise of, or the failure to exercise, any power conferred by this Act on the Provincial Government."

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : इसपर भी मुकदमा नहीं चल सकता।

श्री श्यामनन्दन सहाय : Last portion of the Clause को देखिये। मैं चाहता हूँ कि इस पर गौर किया जाय।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : Last portion है—"or any officer sub-ordinate to it acting under this Act except for the loss or the misapplication occasioned by the wilful default

or gross negligence of any officer of the Provincial Government." मैं चाहता हूँ कि आप इसको गौर से पढ़ें। अगर मैं जमींदार होता तो मैं समझता कि कानून में जैसा बताया हुआ है उससे Manager पर हमारा नियंत्रण रह जाता है। अगर वह जान बूझ कर मालगुजारी नहीं वसूल करता है या हमारी जायदाद नुकसान करता है या उसका "misapplication" करता है।

माननीय प्रमुख : रायबहादुर श्यामसुन्दर सहाय का amendment "loss" के बाद "damage" जोड़ने का भी है। लेकिन वह अलग है।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : जी हाँ; मैं चाहता हूँ कि राय बहादुर साहब इस बात को समझें कि Manager की ग़लती से अगर loss होगा तो गवर्नमेन्ट पर और उस पर मुकदमा कर सकते हैं। इसलिए आपकी जायदाद बिलकुल महफूज रहेगी। नं० २—जब यह कानून में बतलाया गया है कि इस तरीके से रुपया खर्च करे और अगर उसने उस तरीके से रुपया खर्च नहीं किया तब भी उस पर आप मुकदमा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ जो कुछ मैं ने कहा है उसके बाद वह नहीं चाहेंगे कि Manager इस तरदुद से बरी हो जाय और मुकदमा में फँस जाय। Manager तो सिर्फ instrument है हमारा भी और आप का भी—हमारा इसलिए कि वह हमारी Policy के मुताबिक काम करता है, और आप का इसलिए कि रुपया जमा करके आप के घर पहुँचाता है।

मैं समझता हूँ राय बहादुर साहब जो चीज पेश करते हैं उसको seriously लेते हैं। अगर वह बहुत serious रहते तो इस मामले को Select Committee में जरूर लाते। वह जानते हैं कि हमारे यहाँ और Prime Minister के यहाँ उनकी बड़ी सुनवायी होती है और जब उन्होंने इसको पहले नहीं पेश किया तो अब इसको जरूर वापस ले लेंगे।

*** श्री सैयद अमीन अहमद :** जनाब सदर, हमारे दोस्त बार २ सिर्फ राय बहादुर का तज़किरा करते हैं और यह दिखलाते हैं कि राय बहादुर की बड़ी क़द्र उनकी आँखों में है। शायद उनको नहीं मालूम कि राय बहादुर के सिवा और भी मेम्बर इस हाउस में हैं।

माननीय प्रमुख : शांति, शांति। मेम्बरों के बीच कोई ऐसा अंतर या भेद नहीं है। यह प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ इस विभिन्नता के प्रश्न को मत उठाइए।

श्री सैयद अमीन अहमद : मुझे इस पूरे clause पर एतराज है। राय बहादुर के amendment पर इस तरह से एतराज है कि यह हल्का

* माननीय सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

है। हकीकत यह है कि जनता के point of view से, jurisprudence के point of view से और कानून के point of view से यह पूरा clause निकाल दिया जाय।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : On a point of order, Sir, मैं समझता हूँ सिर्फ amendment पर अमीन अहमद साहब बोल सकते हैं पूरे clause पर नहीं बोल सकते।

माननीय प्रमुख : अगर बोलना चाहें तो पूरे clause पर भी बोल सकते हैं, मगर उनको फिर बोलने का मौका नहीं रह जायगा।

श्री सैयद अमीन अहमद : खैर, तो जनाब सदर साहब, इस पूरे clause को हटा देना चाहिए। अगर जरा भी principle of law को accept करते हैं; अगर जरा भी public feeling और civil liberty का ख्याल रखते हैं; अगर जरा भी जनता का ख्याल आप को है···

माननीय प्रमुख : क्या राय बहादुर 'जनता' के बाहर हैं ?

श्री सैयद अमीन अहमद : वह जनता का एक छोटा सा टुकड़ा है; पूरी जनता की बात मैं कर रहा हूं और वह पूरी जनता अब आ रही है। Public servants का Criminal prosecution नहीं होता है जब तक कि appointing authority ऐसे prosecution का sanction न दे। "Good faith" की शर्त इस में भी है। आज तक जितना कानून इस मुल्क में चल रहा है Civil Court के jurisdiction से public servants को protection नहीं मिला है। अलबत्ता previous notice देनी होती है Government को ताकि वह Compromise करके या किसी तरह मामले को भरसक खत्म करे देने की कोशिश करे। आजतक ऐसा कानून bureaucratic Government ने भी नहीं बनाया।

माननीय प्रमुख : Civil suit किस चीज के लिए हो सकता है ?

श्री सैयद अमीन अहमद : misapplication के लिए भी हो सकता है; neglect of duty के लिए भी हो सकता है; wrong order के लिए भी हो सकता है; और जो grievances हों उनके लिए हो सकता है।

माननीय प्रमुख : "misapplication occasioned by the wilful default or gross negligence..."—इस से bar नहीं होता है।

श्री सैयद अमीन अहमद : तो जनाब सदर,.......

माननीय प्रमुख : मैं इसके बारे में अभी सोचता था—अगर आप गलत भी मानी किसी कानून का लगायें तो लगायें, आप को अपनी समझ से काम लेना है।

श्री सैयद अमीन अहमद : यानी Chair को ruling देने का अख्तियार है और personal opinion देने का कोई अख्तियार नहीं है। यही हमारी दिक्कत हो जाती है। कौन चीज आपकी ruling है और कौन चीज personal opinion है इसको समझना मुश्किल हो जाता है।

खैर तो किसी democracy के Act से Civil suit bar नहीं किये गये हैं और इस सूबे के अन्दर यह एक नई चीज लाना चाहते हैं कि civil suit भी किसी public servant के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। यह एक नई चीज मेरे दोस्त ला रहे हैं।

Clause 26 में कहते हैं—"No suit or legal proceeding..." "legal proceeding" के अन्दर सारी चीजें आ जाती हैं।

अगर वे सिर्फ criminal prosecution रखें तो यहां एतराज मुझे नहीं है और मैं अपने एतराज को वापस लेने को तैयार हूँ क्योंकि इसकी दफा क्रिमिनल प्रोसीडयोर कोड में मौजूद है। मेरा एतराज "No suit or other legal proceeding shall lie in any Court" पर है। इसका मानी यह हुआ कि मैनेजर एक superior person बना दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, कानून का हर servant यानी रेवेन्यू मिनिस्टर, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टाफ establishment सबके सब कानून के jurisdiction से बाहर कर दिये जाते हैं। इस तरह आप एक privileged class कायम करना चाहते हैं जो ऐसा होगा कि उस पर law courts का हाथ नहीं पड़ सकता है। (शोरगुल) जनाब सदर साहब, आप सुन लीजिए कि किस तरह लोग बातें कर रहे हैं।

माननीय प्रमुख : शांति, शांति। माननीय सभासद आपस में बातचीत कर सकते हैं लेकिन इस तरह नहीं कि सभा के काम में कोई बाधा पड़े। मौलवी अमीन अहमद ने अभी कहा है कि लोग बातें कर रहे हैं जिससे उन्हें बोलने में बाधा हो रही है।

श्री सैयद अमीन अहमद : जनाब सदर, मैं कह रहा था कि इस सेक्शन से एक privileged class कायम हो जायगा।

माननीय प्रमुख : शांति, शांति। यह प्रश्न नहीं उठता है। यहां यही बात है कि मुकदमा नहीं दायर हो सकता है।

श्री सैयद अमीन अहमद : मेरा मतलब protected clause से था। इसी के लिए मैंने privileged clause कहा।

माननीय प्रमुख : इसमें तो है कि "any servant of the Crown or against any person acting under the order of a servant of the Crown". 'Protected clause' की बात कैसे आती है? इसमें तो मुकदमा दायर करने की बात है। मुकदमा दायर नहीं हो सकता।

श्री सैयद अमीन अहमद : किसी गवर्नमेंट servant के खिलाफ यहां तक कि चपरासी के खिलाफ भी किसी कोर्ट में legal proceeding नहीं हो सकती। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक अलग क्लास कायम हो जाता है।

माननीय प्रमुख : शांति, शांति। 'Against any person acting under the order of a servant of the Crown भी दिया है। सिर्फ Government servant की बात नहीं है।

श्री सैयद अमीन अहमद : Government servant के आर्डर से काम होता है इसलिए वे भी इसी category में आ जाते हैं।

माननीय प्रमुख : Government servant के आर्डर से काम करने से दूसरे भी कैसे Government servant हो गये ? हमने आपकी गलती बता दी अब जो कहना हो कहिए।

श्री सैयद अमीन अहमद : मैं दो चीजों पर एतराज कर चुका। अब तीसरी चीज बतला रहा हूँ। एक जगह बड़ी मिहरबानी करके 'Good faith के अलफाज रखे गये थे लेकिन बाद में उन्हें भी खत्म कर दिया गया यानी एकदम arbitrary तरीके से कोई कुछ भी करे तो उसके खिलाफ कोई legal proceeding नहीं लायी जा सकती है। इस पर हमारे रायबहादुर को भी एतराज है। आगे चलकर लिखते हैं कि "in respect of any alleged neglect or omission to perform any duty" जब एक शख्स अपनी duty अंजाम देता है और उसके बाद कोई ऐसी चीज पैदा हो गयी जिसके मुतल्लिक वह पहले से नहीं समझता था कि यह नतीजा होगा तो यह good faith होगा क्योंकि उसकी नीयत अच्छी थी। लेकिन एक शख्स अपनी duty को अंजाम नहीं दे रहा है तो यह कहना कि उसने good faith में अपनी ड्यूटी को neglect किया कहां तक जायज है, यह इस हाउस के लोग समझ सकते हैं। यहां तो बहुत से कानूनदां भी मेम्बर की हैसियत से मौजूद हैं। यह good faith नहीं समझा जायगा।

माननीय प्रमुख : यह default है।

श्री सैयद अमीन अहमद : जी हां। यही समझा जायगा। जनाब सदर, मैं कहता हूं कि इस सेक्शन के अंदर good faith का जो असर पहले हो चुका था उसे बाद के अलफाज ने खतम कर दिया। इसी को राय बहादुर हटाना चाहते हैं और मैं उनसे एक कदम और भी बढ़ जाता हूँ। जनता के point-of view से, बिहार प्रान्त में रहने वालों के point of view से मैं यह कहना चाहता हूँ कि civil liberty और democratic right पर बहुत बड़ा हमला किया जा रहा है। मैं हाउस से उम्मीद करता हूँ कि वह इसको महसूस करेगा

और हुकूमत पर दबाव डालेगा कि वह इस तरमीम को मान ले। जनाब सदर साहब, "in respect of any alleged neglect or omission to perform any duty devolving on the Provincial Government or any of the officers sub-ordinate to it and acting under this Act" इसमें Provincial Government को पूरा protection दिया जा रहा है। पूरी जमात की जमात एक साथ चल रही है, Provincial Government से लेकर peon तक, मजदूर वगैरह सब के सब एक साथ चलते हैं।

खैर साहब, अब रायबहादुर के जवाब में मेरे दोस्त ने जो चन्द बातें कही हैं उनको सुनकर भी मुझे बड़ी तकलीफ हुई। वे फरमाते हैं कि साहब, मैनेजर मेरा भी instrument या औजार है और आपका भी। वह मेरा भी काम करेगा, मेरी पालिसी चलावेगा और आपका भी यह काम करेगा कि सर्टिफिकेट पावर के जरिए सारा रुपया जो अभी तक वसूल नहीं हुआ है, मय arrear के मयएक-एक पाई और सूद दर सूद के वसूल कर लेगा। जी हां, बड़े जमीन्दारों, को मिलाने के लिये यह अच्छा plea दिया है। गवर्नमेन्ट और लैण्डलार्ड दोनों को मिलाकर आप मैनेजर को joint instrument बनाना चाहते हैं। किसके खिलाफ ? वही गरीब किसानों के खिलाफ। एक कैंची के दो फाल होते हैं—एक है हुकूमत और दूसरा बड़े जमीन्दार और इस कैंची से किसका चमड़ा कटेगा ? वही गरीब किसानों का, जिनकी ओर से अमीन अहमद खड़ा होकर बोल रहा है। (हीअर, हीअर)

श्री श्यामनन्दन सहाय : जमुना बाबू एतराज करते हैं कि नहीं, हम उनके representative हैं।

माननीय प्रमुख : शांति, शांति।

श्री सैयद अमीन अहमद : जी हां, जनाब आला, मेम्बरों को चाहिए कि हजूर से सवाल करें और...

माननीय प्रमुख : शांति, शांति। आप अपनी तकरीर कीजिए। इन बातों को छोड़िये।

श्री सैयद अमीन अहमद : खैर, यह बात यहां नहीं है।

माननीय प्रमुख : इस तरह की असंगत दलील आप नहीं दे सकते। आप अपने नोट के मुताबिक क्यों नहीं बोलते हैं ?

श्री सैयद अमीन अहमद : बीच बीच में लोग छेड़ देते हैं।

माननीय प्रमुख : तब क्या आप का दिमाग कमजोर है ? (हास)

श्री सैयद अमीन अहमद : मेरा दिमाग इतना मजबूत है कि मैं सवालों का तुरन्त जवाब देता हूँ।

खैर, मेरे दोस्त रुपये आने पाई में बहुत होशियार हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैनेजर रुपये को mis-apply करेगा तो उसके लिये exception रख दिया है। क्यों नहीं रखें, वह तो रुपये आना पाई का सवाल है, अपने खजाने का सवाल है। आपने यह भी फरमा दिया है कि "except for the loss or misapplication occasioned by the wilful default or gross negligence of any officer etc. etc. अभी आपने जवाब में भी फरमाया है कि अगर वह मैनेजर रुपये को mis-apply करेगा या रुपया वसूलने में पूरी कोशिश नहीं करेगा "if he mis-applies money or fails to realise money" ऐसी हालत में उसपर मुकदमा चल सकता है। मैं पूछता हूं कि आप दो ही चीजों के लिये क्यों परेशान हैं। आप इसपर गौर करें। यह चीज किसानों से सरोकार रखती है।

माननीय प्रमुख : Except करके जो मुकदमे की इजाजत की बात है वह तो दूसरों के लिये है, सरकार के लिये नहीं है। सरकार को क्या मुकदमा चलाना है ?

श्री सैयद अमीन अहमद : मेरे दोस्त ने जो exception किया है वह अपने फायदे के लिये किया है और जमीन्दारों के लिये किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि दो काम करोगे यानी रुपये का misapplication और failure to realise money तो protection नहीं है। बाकी जो करो उसके लिये exception है। इन दोनों चीजों का सरोकार गवर्नमेन्ट और बड़े जमीन्दारों से है।

माननीय प्रमुख : बड़े और छोटे दोनों से सरोकार है।

श्री सैयद अमीन अहमद : थोड़ा छोटे जमीन्दारों से भी है। खैर, मगर यह बहुत बड़ा protection देते हैं कि Law Courts को अख्तियार नहीं रहेगा, यह मुनासिब नहीं है। जनता के साथ यह बहुत बड़ा जुल्म है।

इसी सिलसिले में मैं एक बात और कह देता हूँ मगर मेरे दोस्त इन बातों का जवाब तो दे नहीं सकेंगे।

माननीय प्रमुख : जनता पर पर क्या अन्याय है ?

श्री सैयद अमीन अहमद : जनता की civil liberties पूरे सूबे की छीन ली जाती है।

माननीय प्रमुख : यह कहने से साफ नहीं होता है। जनता को क्या नुकसान होगा यह बताइये।

श्री सैयद अमीन अहमद : जनता में किसान भी शामिल हैं। मान लीजिए कि कोई किसान बेदखल कर दिया जाय जैसा सेक्शन ८ में है.......

माननीय प्रमुख : शान्ति, शान्ति। यह तो आप बार बार कह रहे हैं कि कोई किसान बेदखल कर दिया जाय। किसान तो बेदखल हो नहीं सकता है। वह किसान न जमीन्दार से डरेगा न सरकार से डरेगा। किसानों की बात यहां नहीं आती है। आपके कहने का मतलब यही होता है कि बिहार टिनैन्सी ऐक्ट उठ गया है।

श्री सैयद अमीन अहमद : सेक्शन ८ में तो बिहार टिनैन्सी को उठा दिया है।

माननीय प्रमुख : यह तो गलत है।

श्री सैयद अमीन अहमद : आपको मेरी बातों को गलत कहने का अख्तियार नहीं है। आपकी बातें गलत हैं मुझे भी यह कहने का अख्तियार है। हाँ, आप Ruling दे दें तो मुझे कुछ कहने का अख्तियार नहीं है।
खैर, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ।

माननीय प्रमुख : मिसाल की जरूरत नहीं है। इससे समय नुकसान होगा। मैं जिस तरह बहस को चलाना चाहता हूँ उसको आप को मानना चाहिये।

श्री सैयद अमीन अहमद : तब मेरे लिये बोलने की कौन सी बात रही ?

माननीय प्रमुख : आप अपना विचार कहिये।

श्री सैयद अमीन अहमद : एक जमीन्दार अगर मैनेजर को लिख कर दे दे कि ५० बीघा जमीन बकाश्त थी, जिसको हमने ए० बी० सी० को सटौआ-पटौआ lease दिया था। अब अगर मैनेजर ए० बी० सी० के खिलाफ आर्डर दे कि तुम लोग छोड़ दो। ए० बी० सी० कहते हैं कि सटौआ-पटौआ नहीं है वह मेरी occupancy हो गई और हम इसको जोत रहे हैं और हम occupancy रैयत हैं। मैनेजर साहब चाहें तो अपने order को execute कर सकते हैं। अब रैयतों को कोई रास्ता नहीं है। इस order के खिलाफ किसी Law Court में जाने का अख्तियार नहीं है। रैयत बेचारे ५० बीघा जमीन से बेदखल कर दिये गये जिस पर उनका occupancy right हो गया था। सेक्शन २२ की रू से मैनेजर साहब को protection मिलता है और किसान किसी Law Court में नहीं जा सकते हैं। यही मेरी मिसाल है......

माननीय प्रमुख : शान्ति, शान्ति। यह दलील यहाँ नहीं पेश कर सकते हैं। सेक्शन २७ में यह तय हो चुका है।

श्री सैयद अमीन अहमद : तब तो आप ने मेरे point को मान लिया कि किसी कोर्ट में यह order question नहीं किया जा सकता यही तो मैं भी कह रहा था।

माननीय प्रमुख : शान्ति, शान्ति । यह तो यहाँ out of order है ।

श्री सैयद अमीन अहमद : आपने पूछा था इसलिये मैं ने कहा ।

खैर, तो मैं कह रहा था कि अगर मैनेजर जान बूझ कर बिहार टिनैन्सी के खिलाफ........

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : On a point of order, Sir, हम समझते हैं कि इस हाउस की dignity नहीं रह रही है क्योंकि आपके हुक्म देने के बाद भी वही बातें बार बार कही जा रही हैं, खास कर जिनको out of order करार देते हैं उन्हीं को बार बार कहा जाता है। हाउस की dignity रखना हमलोगों का interest है। आप कहते हैं कि इस point को raise न करें मगर बार बार उन्हीं points को raise करते हैं। हमने suggestion दे दिया और आप का ध्यान आकृष्ट कर दिया, आप जो हुक्म दें।

* श्री सैयद मजहर इमाम : जनाब सदर, मैं चाहता हूं कि इस बात पर आपकी ruling हो जाय कि जो जो क्लाज पास हो चुके हैं उनका जिक्र या challenge नहीं कर सकते हैं।

माननीय प्रमुख : आप ने इसका फैसला कर दिया है कि मैनेजर अगर किसी को बेदखल कर दे तो उसके बारे में कोर्ट में question नहीं किया जा सकता है।

श्री सैयद मजहर इमाम : कोर्ट में question नहीं कर सकते हैं या यहाँ भी नहीं कर सकते हैं।

माननीय प्रमुख : जब हाउस ने किसी बात पर अपना फैसला दे दिया तब कोई सदस्य नहीं कह सकता है कि वह फैसला गलत है।

श्री सैयद मजहर इमाम : मैं इस पर ruling चाहता हूँ कि जो clause पास हो गया है उस पर फिर किसी मेम्बर को बोलने का मौका है या नहीं।

माननीय प्रमुख : जो फैसला दिया गया है उसके खिलाफ कोई सभासद नहीं बोल सकते हैं।

श्री सैयद मजहर इमाम : मगर ऐसे तो पचासों कानून पास हो जाते हैं और इसके मुताबिक यही कहा जा सकता है। इस सूरत से तो कुछ भी नहीं हो सकता है और चलना भी तब तो मुश्किल हो जाता है।

माननीय प्रमुख : क्या सभी कानून इस........

श्री सैयद मजहर इमाम : हजूर, इस ruling से तो हाउस में कुछ भी नहीं चल सकता है।

---

* माननीय सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

माननीय प्रमुख : कानून के बारे में और कार्रवाई के बारे में—दोनों में फर्क है। आप दोनों को मिला दे रहे हैं। कानून बने हुए हैं और आप बना भी रहे हैं। उस कानून के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। कानून की कार्रवाई ठीक नहीं है, यह आप कह सकते हैं।

श्री सैयद मजहर इमाम : हजूर, ruling है कि बहुत........

माननीय प्रमुख : इस कानून के निस्बत जो फैसला हाउस ने अभी कर दिया है उसके बदलने की या उठाने की बात हो तब आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री सैयद मजहर इमाम : अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। पूरे बिल के खिलाफ हम कह सकते हैं। यह तो अभी Act नहीं हुआ है।

माननीय प्रमुख : आपने फिर नहीं समझा। इसका मतलब यह है कि जो बिल विचाराधीन है उसका आप विरोध कर सकते हैं और समूचे बिल पर बोल सकते हैं। पर इस वक्त जो clause पास हो चुका है, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। फिर आप 3rd reading के समय बिल के खिलाफ बोल सकते हैं जहाँ तक 3rd reading के मौके पर आपको बोलने का हक होता है।

श्री सैयद मजहर इमाम : अगर इससे सम्बन्ध है तो फिर क्या होगा।

माननीय प्रमुख : आप उसी हद तक रह सकते हैं जिस हद तक clause को जाना है। उसके पीछे की बात नहीं कह सकते हैं और आगे की भी नहीं कह सकते हैं।

[मध्याह्न भोजन का अवकाश]

कार्यक्रम के सम्बन्ध में बहस

माननीय प्रमुख : मेरे हाथ में अभी एक आवेदन-पत्र है। कई माननीय सभासदों ने इस आवेदन-पत्र को अपने हस्ताक्षर के साथ मेरे पास भेजा है। उन लोगों की राय है कि कल शनिवार को सभा की बैठक न हो। आज गैर-सरकारी दिन था और आज के बदले कल गैर-सरकारी दिन रखा गया था। यह आप लोगों को मालूम है। इसको दो तरह से हल कर सकते हैं। एक तो यह है कि अगर आप गैर-सरकारी दिन नहीं चाहते हैं तो वैसी हालत में कल बैठक नहीं होगी और अगर आप गैर-सरकारी दिन चाहते हैं तो कोई दूसरा दिन निश्चित कर लें जिसमें कल बैठक नहीं हो।

एक माननीय सदस्य : अगले शुक्रवार को।

माननीय प्रमुख : अगला शुक्रवार तो विधेयक का दिन है। हम ऐसा करते हैं कि एक शुक्रवार को विधेयक रखते हैं तो दूसरे शुक्रवार को संकल्प।

एक माननीय सदस्य : सोमवार को रखा जाय।

माननीय प्रमुख : सोमवार को हम नहीं रख सकते। विधेयक की जैसी प्रगति है उस हिसाब से तो यह नहीं हो सकता है। इस विधेयक के लिये हमें और विधेयकों को रोक देना पड़ा है। इसलिये हम इस विधेयक को रोक नहीं सकते हैं। तो मैं घोषणा करता हूँ कि कल सभा की बैठक न होगी और सोमवार के दिन हमलोग निश्चय करेंगे कि कौन दिन इसके लिए रखा जाय।

राजकीय विधेयक

विहार स्टेट मैनेजमेन्ट ऑफ एस्टेट्स एन्ड टेन्योर्स बिल, १६४६

[१६४६ का वि० स० ७] (क्रमशः)

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी : जनाब सदर, मुझे कहना इस clause पर कुछ ज्यादा नहीं है। मगर मेरी हैरत बहुत बढ़ती जा रही है। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि यह पब्लिक की हुकूमत कहाँ जा रही है। वह हमारे अख्तियार को भी ले लेना चाहती है जिसका कि कभी हमें गुमान भी नहीं था। हमारी हुकूमत के सामने न कोई उसूल है और न कोई उसूल था। सुना करता था कि जंग के जमाने में इस क़िस्म के measure अख्तियार किये जाते हैं मगर अब तो जंग का जमाना नहीं है। अब तो अमन का जमाना और peoples की हुकूमत है। अवाम की हुकूमत ऐसे अख्तियारात लेने जाती है या लेने जाने की तजवीज हो रही है। अब खौफ हमको यह है कि अभी तो prohibition के मुतल्लिक हुकूमत गौर कर रही है। कहीं ऐसा न हो कि अगर बस्ती का एक आदमी पीता है तो सारे बस्ती को ही punish नहीं कर दिया जाय। मैं तो देखता हूँ कि गवर्नमेन्ट के सामने वसूल और बे-वसूल कोई चीज नहीं है। यह clause जो सामने है, उस में आप सारे अख्तियारात मैनेजर को दे रहे हैं—मुनासिब और गैर-मुनासिब। अब तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सवाल भी पैदा नहीं होता है। अब तो आप सभी दरवाजा बन्द कर देना चाहते हैं ऐसा ही मालूम हो रहा है।

मैं यह अच्छा नहीं मानता हूं। नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं अपना यह फर्ज समझता हूँ कि ऐसा measure पास नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनी नापसंदगी जाहिर कर रहा हूं।

श्री तारानन्द सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि श्री श्यामनन्दन सहाय अभी तक नहीं आये हैं। अगर गवर्नमेंट का जवाब हो जाय तो उनको बोलने का हक होगा या नहीं?

माननीय प्रमुख : नहीं।